

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(55)नवि/3/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 9 MAR 2023

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2023 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा जारी भू-आवंटन नीति-2015 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


1. **बिन्दु संख्या 9 में संशोधन:-** विद्यमान बिन्दु संख्या 9 में राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन का प्रावधान है, जिसमें उल्लेखित सारणी में नया बिन्दु क्र. सं. 12 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्षेत्रफल
12	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (शहरी क्षेत्रों में शहीद स्मारक निर्माण हेतु)	500 वर्गमीटर

उक्त भूमि का निःशुल्क आवंटन राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.10.2009 के प्रावधानानुसार इस शर्त के साथ किया जायेगा कि उक्त भूमि का आवंटन शहीद के जन्म स्थान (निकाय) पर ही किया जा सकेगा।


उक्त आदेश मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 25/2023 दिनांक 03.03.2023 की अनुपालना में जारी किए जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से


(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(मन्दीप कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम